श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि

01.01.2015 से 31.12.2016

भाग—एक

1 **प्रारम्भिक**

(क) हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग) (2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (ए) 3—3/85—पार्ट—II दिनांक 17.1.1989 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के मन्दिरों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा के अवधि 01.01.2015 से 31.12.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी मन्दिर न्यास के आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यरत्त रहेः—

क्रम संख्या	मन्दिर अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री गिरजेश चौहान	01.01.15 से 31.12.16

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का सार	राशि
1	9	दुकानों के किराये के रूप में बकाया राशि की वसूली हेतु कार्यवाही न करना	11.07
2	10	श्री जितेन्द्र शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता को अनियमित भुगतान	1.43
3			
4	14	संविदाकारों के भुगतान बिलों से लेबर सैस की कटौती न करना	0.61
5	15	ठेकेदार श्री विनय गर्ग से पैनेल्टी की वसूली न करने बारे	1.69
6		**निविदायें आमन्त्रित किए बिना का व्यय करना**	**₹0.55 लाख**

	16		

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों के बारे में

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर मन्दिर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जोकि चिन्ताजनक है। अतः मन्दिर प्रशासन द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए, तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री तरबीज कुमार, सहायक नियन्त्रक, श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार क0ले0प0 द्वारा दिनांक 18.10.17 से 12.1.18 तक के दौरान मन्दिर परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु 6/2015, 6/2016 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु 4/2015 व 10/2016 मासों का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन व वित्तीय स्थिति को मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं अभिलेख प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.2015 से 31.12.2016 के वर्तमान लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹55200 आंका गया। मन्दिर अधिकारी को अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को

बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 369 दिनांक 12.1.2018 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर चामुण्डा की अवधि 1.1.2015 से 31. 12.2016 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष 2015

प्रारम्भिक शेष	**72081743.61**
प्राप्तियाँ	37451120.61
अन्य प्राप्तियाँ	439397.00
ब्याज	6264227.00
योग	**116236488.22**
व्यय	34117993.00
अन्तशेष	**82118495.22**

वर्ष 2016

प्रारम्भिक शेष	82118495.22
प्राप्तियाँ	38477322.90
हिमानी चामुण्डा से हस्तांतरण	4763741.00
अन्य प्राप्तियाँ	310568.00
ब्याज	**7644779.00**
योग	**133314906.12**
व्यय	**31252207.00**
अन्तशेष	**102062699.12**

बैंक के बचत खातों में जमा राशि (परिशिष्ट–ङ)	**4595518.12**
सावधि जमा में निवेश (परिशिष्ट–ख)	**97654261.00**
कुल योग	**102249779.12**
बैंक व कैश बुक के अन्तशेष में अन्तर	**102249779.12–102062699.12 =187080**

अन्तर के कारण

(1) चैक जारी किए गए परन्तु बैंक से भुगतान नहीं किया गयाः–

क्र0सं0	चैक सं0	दिनांक	नाम	राशि	
(i)	12964	21.12.16	श्रीमती रीना देवी	5100	
(ii)	013070	26.12.16	मै0 अनिल गैस सर्विस	23188	

(iii)	013412	28.12.16	एस0डी0ओ0 बिजली	13772	
(iv)	013075	31.12.16	मै0 सुलभ इन्टरनैशनल	75000	
				117060	117060
(2) दिनांक 1.12.16 को बैंक में ज्यादा जमा किए गए				20	20
(3) दिनांक 8.12.16 को बैंक द्वारा कम (Debit) दर्शाया गया				70000	70000
				योग	**187080**

नोट 1:– बैंक समाधान विवरणी **परिशिष्ट "छ"** में संलग्न है।

नोट 2 :– हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एल0सी0डी0–एफ (7) 6/2015 दिनांक 30.1.2016 की अनुपालना में हिमानी चामुण्डा मन्दिर का विलय माता श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा जिला कांगड़ा में कर दिया गया है तथा आदि हिमानी चामुण्डा की बैंकों में पड़ी राशि व वर्ष 2016 की आय को श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास की वित्तीय स्थिति में सम्मिलित कर दिया गया है।

नोट 3:– दिनांक 31.12.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरण:–

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	सैन्टरल बैंक ऑफ इण्डिया चामुण्डा	2353808591	681309.00
2	सैन्टरल बैंक ऑफ इण्डिया चामुण्डा	2353807064	3247063.76
3	के0सी0सी0 बैंक चामुण्डा	20105004951	365805.77
4	पी0एन0बी0 डाठ	98320001000014	97083.20
5	पी0एन0बी0 मकलोडगंज	2517000101031930	168103.00
6	एच0डी0एफ0सी0 धर्मशाला	605145000049	17523.75
7	एस0बी0आई0 धर्मशाला	10551097090	18629.64
		कुल योग	**4595518.13**

5 निवेश

दिनांक 31.12.2016 को मन्दिर न्यास द्वारा ₹97654261 का निवेश सावधि जमा योजना में किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ख"** पर दिया गया है।

6 सोना

मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यास की सोने की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है।

7 **चांदी**

(क) मन्दिर अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यास की चाँदी की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट ''घ''** पर दिया गया है।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त गत वर्षों की चाँदी की वित्तीय स्थिति की तरह वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी 142 किलोग्राम 501 ग्राम तथा 842 मिलीग्राम चाँदी की मात्रा का अन्तर दर्शाया गया है तथा यह भी वर्णित किया गया है कि उक्त अन्तर गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005 के पैरा संख्या "क" तथा "ख" में दिए गए विवरणानुसार कम दर्शाई गई चाँदी की मात्रा से सम्बन्धित है। अतः इस प्रकरण में भी न्यास द्वारा अपने स्तर पर विस्तृत जाँच/छानबीन करके अन्तर के कारणों के बारे में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 **₹100 की वसूली बारे**

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनांक 18.6.16 को ₹100 की रसीद संख्या 12552 काटी गई थी, जिसकी प्रविष्टि सम्बन्धित रिकार्ड में नहीं की गई थी। अंकेक्षण द्वारा मन्दिर प्रशासन से प्रकरण को उजागर करने पर उक्त राशि को रसीद संख्या 1141/56857 ₹100 दिनांक 8.12.17 द्वारा सम्बन्धित निधि में जमा करवा दिया गया तथा अंकेक्षण द्वारा अभिलेख की पुष्टि उपरान्त अंकेक्षण आपत्ति का निपटारा कर दिया गया है।

9 **दुकानों के किराये के रूप में बकाया ₹11.07 लाख की वसूली हेतु कार्यवाही न करना**

जाँच में पाया गया कि दिनांक 16.9.2014 को मन्दिर न्यास द्वारा निम्न दुकानदारों को निम्न दर से मासिक किराये के आधार पर आबंटित की गई, परन्तु अंकेक्षण अवधि तक मन्दिर न्यास द्वारा दुकानदारों से किराया नहीं वसूला गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। दिनांक 31.12.2016 तक विभिन्न दुकानदारों से किराये के रूप में ₹1107300 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अतः दुकानों से किराये की वसूली अतिशीघ्र की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

क्रमांक	दुकानदार का नाम	दुकान नं0	मासिक किराया	1.1.13 से 31.12.14 में तक की राशि	1.1.15 से 31.12.16 तक की राशि	कुल राशि
1	श्री अमित कुमार	1	680	2340	16320	18660
2	श्री रमेश चन्द	2	680	2340	16320	18660
3	श्री सुरेश चन्द	3	680	2340	16320	18660
4	श्री ओम प्रकाश	4	680	2340	16320	18660
5	श्री सतीश कुमार	5	680	2340	16320	18660
6	श्री हंस राज	6	680	2340	16320	18660
7	श्रीमती शारदा देवी	7	680	2340	16320	18660
8	श्री संजू धीमान	8	680	2340	16320	18660
9	श्री पप्पू कुमार	9	680	2340	16320	18660
10	श्री देस राज	10	680	2340	16320	18660
11	श्री महेश कुमार	11	1580	5530	37920	43450
12	श्री अशोक कुमार	12	1580	5530	37920	43450
13	श्री अनूप कुमार	13	1580	5530	37920	43450
14	श्रीमती संजोगता देवी	14	1580	5530	37920	43450
15	श्रीमती अरूणा देवी	15	1580	5530	37920	43450
16	श्री पुनीत कुमार	16	1580	5530	37920	43450
17	श्री राज कुमार	17	1580	5530	37920	43450
18	श्री राजेश कुमार	18	1140	3990	27360	31350
19	श्री विरेन्द्र कटोच	19	1140	3990	27360	31350
20	श्री लेख राज	20	820	2870	19680	22550
21	श्रीमती शारदा देवी	21	1300	4550	31200	35750
22	श्री रजनी कान्त	22	1250	4375	30000	34375
23	श्री राकेश कुमार	23	1250	4375	30000	34375
24	श्री राम चन्द	24	1000	3500	24000	27500
25	श्री पूरनचन्द	25	1000	3500	24000	27500

26	श्री सुभाष चन्द	26	1000	3500	24000	27500
27	श्री राजेश कुमार	27	1000	3500	24000	27500
28	श्री कमल नेन	28	1000	3500	24000	27500
29	श्रीमती रमा कुमारी	29	1000	3500	24000	27500
30	श्री मेहर चन्द	30	770	2695	18480	21175
31	श्री राजेन्द्र कुमार	31	770	2695	18480	21175
32	श्रीमती सुभद्रा देवी	32	770	2695	18480	21175
33	श्री रवि भूषण	33	770	2695	18480	21175
34	श्री सुभाष मैहता	34	770	2695	18480	21175
35	श्री चुनी लाल	35	770	2695	18480	21175
36	श्रीमती पुष्पा, संजीव, मदन	36	980	3430	23520	26950
37	श्री राजेश कुमार	37	980	3430	23520	26950
38	श्रीमती कामना देवी	38	980	3430	23520	26950
39	श्री कुलदीप गुलेरिया	39	980	3430	23520	26950
40	श्रीमती पुन्या देवी, पवन कुमार, पंकज	40	980	3430	23520	26950
			कुल योग	**140580**		**1107300**

10 श्री जितेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को वेतन के रूप में ₹1.43 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना

मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर, चामुण्डा में कार्यरत्त कनिष्ठ अभियन्ता श्री जितेन्द्र शर्मा की सेवा पुस्तिका की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के आदेश संख्या 147–154 दिनांक 26.2.14 द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (पी0आर0)बी (7) 59/2010 दिनांक 9.8.12 के अनुसार उन्हें 4–9–14 की स्कीम का लाभ देकर उनके वेतन का निर्धारण किया गया था। इस सन्दर्भ में यह वर्णित किया जाता है कि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश कांगड़ा के आदेश संख्या CT-KGR-1038-1045 दिनांक 15.12.2014 द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR) B(7) 59/2010 दिनांक 27.09.12 "Revision of pay structure under the career Progression Scheme applicable to Junior Engineer" का

लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin (PR)B(7) 59/2010 दिनांक 27.09.12 के अनुसार जोकि दिनांक 1.10.12 से हिमाचल प्रदेश सरकार के कनिष्ठ अभियन्ताओं को देय है, उसे मन्दिर के कनिष्ठ अभियन्ताओं को दिनांक 1.10.2014 से लागू किया गया है। इस प्रकार श्री जितेन्द्र शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता को उक्त लाभ दिनांक 1.10.2014 से ही दिया जाना चाहिए था, जबकि उनको यह लाभ दिनांक 9.08.2012 से दिया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 18.11.17 के द्वारा मन्दिर अधिकारी को लिखा गया कि कनिष्ठ अभियन्ता का वेतन निर्धारण का मामला Review किया जाए जिसकी अनुपालना में मन्दिर अधिकारी के पत्र संख्या CH-NMN-1/2017 Audit-1786 दिनांक 30.12.17 द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी से अधिक वेतन भुगतान की ₹143249 की वसूली के बारे सूचित किया है। अतः उपरोक्त अधिक भुगतान की अतिशीघ्र वसूली की जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

	देय वेतन						आहरित वेतन						
नाम व पद	वेतन	ग्रेड वेतन	कुल योग	मंहगाई भत्ता	कुल योग	वेतन	ग्रेड वेतन	कुल	मंहगाई भत्ता	कुल योग	अन्तर	अवधि	कुल वसूली
श्री जितेन्द्र नाम, क0अ0	14190	3800	17990	12953	30943	14770	4200	18970	13658	32628	1685	9.8.12 से 31.8.12=23 दिन	(–)1292
	14190	3800	17990	12953	30943	14770	4200	18970	13658	32628	1685	1.9.12 से 31.12.12=4 मास	(–) 6740
	14190	3800	17990	14392	32382	14770	4200	18970	15176	34146	1764	1.1.13 से 30.6.13=6 मास	(–)10584
	14190	3800	17990	16191	34181	14770	4200	18970	17073	36043	1862	1.7.13 से 31.7.13=1 मास	(–)1862
	14730	3800	18530	16677	35207	15340	4200	19540	17586	37126	1919	1.8.13 से 21.8.13=21 दिन	(–)1343
	14730	3800	18530	16677	35207	15930	4400	20330	18297	38627	3420	22.8.13 से 31.8.13=10 दिन	(–)1140
	14730	3800	18530	16677	35207	15930	4400	20330	18297	38627	3420	1.9.13 से 31.12.13=4 मास	(–)13680
	14730	3800	18530	18530	37060	15930	4400	20330	20330	40660	3600	1.1.14 से 30.6.14=6	(–)21600

												मास	
	14730	3800	18530	19827	38357	15930	4400	20330	21753	42083	3726	1.7.14 से 31.7.17=1 मास	(–)3726
	15290	3800	19090	20426	39516	16540	4400	20940	22406	43346	3830	1.8.14 से 30.9.14=2 मास	(–)7660
	15600	5400	21000	22470	43470	16540	5400	21940	23476	45416	1946	1.10.14 से 31.12.14=3 मास	(–)5838
	15600	5400	21000	23730	44730	16540	5400	21940	24792	46732	2002	1.1.15 से 30.6.15=6 मास	(–)12012
	15600	5400	21000	24990	45990	16540	5400	21940	26109	48049	2059	1.7.15 से 31.7.15=1 मास	(–)2059
	16230	5400	21630	25740	47370	17200	5400	22600	26894	49494	2124	1.8.15 से 31.12.15=5 मास	(–)2124
	16230	5400	21630	27038	48668	17200	5400	22600	28250	50850	2182	1.1.16 से 30.6.16=6 मास	(–)13092
	16230	5400	21630	28119	49749	17200	5400	22600	29380	51980	2231	1.7.16 से 31.7.16=1 मास	(–)2231
	16880	5400	22280	30078	52358	17880	5400	23280	31428	54708	2350	1.8.16 से 31.12.16=5 मास	(–)11750
	16880	5400	22280	31860	54140	17880	5400	23280	33290	56570	2430	1.1.17 से 31.7.17=7 मास	(–)17010
	17550	5400	22950	32819	55769	18580	5400	23980	34291	58271	2502	1.8.17 से 31.10.17=3 मास	(–)7506
												कुल योग	(–)143249

11 श्री किशोरी लाल, चपड़ासी को ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity) तथा Leave Encashment के रूप में ₹3260 का अधिक भुगतान करना

श्री किशोरी लाल, सेवादार (चपड़ासी) (Retired on 30.6.2015) की सेवा पंजिका की जाँच करने के उपरान्त पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी को सेवा निवृति के उपरान्त देय Retirement Graduity व Leave Encashment का निम्न विवरणानुसार ₹3260 अधिक

भुगतान किया गया जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

वेतन जिस पर भुगतान किया गया	21694
8580(BP)+1900 (GP)+11214 DA@107%	
वास्तव में देय वेतन	21487
8580(BP)+1800 (GP)+11107 DA@107%	
अन्तर	207
अधिक भुगतान	
(i) Retirement Graduity 207x43/4	2225
(ii) Leave Encashment 207x150/30	1035
योग	**3260**

12 श्री ध्रुव कुमार, गोल्क रक्षक को Retirement Gratuity व Leave Encashment के रूप में ₹1865 का अधिक भुगतान करना

श्री ध्रुव कुमार गोल्क रक्षक (Retired on 31.3.17) की सेवा पंजिका की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी को Retirement Gratuity+Leave Encashment के रूप में कुल ₹430733 का भुगतान किया गया जबकि वास्तव में कुल ₹428868 बनता था, इस प्रकार उपरोक्त कर्मचारी को निम्न विवरणानुसार ₹1865 का अधिक भुगतान किया गया। अतः ₹1865 की वसूली सम्बन्धित से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7 दिनांक 30.12.17 द्वारा मन्दिर प्रशासन से वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ थाः–

वेतन जिस पर भुगतान की गणना की गईः–

9550(BP)+1950 (GP)+14605 DA@127%	26105
वास्तव में देय वेतन	25992
9550(BP)+1900 (GP)+14542	
अन्तर	113
(i) Retirement Graduity 113x46/4	1300
(ii) Leave Encashment 113x150/30	565
कुल अधिक भुगतान	1865

13 संविदाकारों के बिलों से लेबर सैस के रूप में ₹0.61 लाख की वसूली न करना

सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संविदाकारों के बिलों से एक प्रतिशत की दर से लेबर सैस की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में संविदाकारों के बिलों से लेबर सैस की ₹61175 की वसूली नहीं की गई थी। अतः सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संविदाकारों के भुगतान बिलों से लेबर सैस की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	संविदाकार का नाम	वा0सं0 / दिनांक	भुगतान	1% लेबर सैस राशि
1	श्री पवन ठाकुर	17 / 2.1.15	688166	6882
2	श्री रणजीत	19 / 3.1.15	10951564	1095
3	श्री राहुल शर्मा	2 / 1.4.15	711789	7118
4	श्री वनीत धीमान (1)	(i) 43 / 3.4.15	99685088	9969
		(ii)45 / 7.11.15	142695	1427
5	श्री वनीत धीमान (2)	87 / 29.8.15	411333	4113
6	श्री विनय गर्ग	(i) 14 / 2.9.15	840048	8400
		(ii)56 / 16.4.16	650460	6505
7	श्री वनीत धीमान (3)	43 / 10.11.15	83816271	8382
8	श्री अनिल कुमार	44 / 10.11.15	189926	1899
9	श्री कुलवीर जग्गी	68 / 26.2.16	342457	3425
10	श्री विजय राज	60 / 12.5.16	196000	1960
			योग	**61175**

14 संविदाकार श्री विनय गर्ग से ₹1.69 लाख की पैनल्टी की वसूली न करने बारे

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि शिवा मन्दिर के नजदीक दीवार लगाने के लिए श्री विनय गर्ग को ₹1693680 में कार्य आबंटित किया गया। ठेके की शर्तों और नियमों के अनुसार (नियम 12) अगर सविंदाकार दिए गए कार्य को निर्धारित समय में समाप्त नहीं करता तो उससे आबंटित राशि के 10**%** की दर से पैनेल्टी वसूल की जाएगी। निर्माण कार्य का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	अवार्ड पत्र सं0 व दिनांक	राशि	समय	खत्म करने की तिथि	पैनेल्टी (10%)
C/O Breast Wall near shiv Temple	श्री विनय गर्ग	2046–48 / 11.11.14	1693680	6 (मास)	Uncompleted	169368

उपरोक्त के अनुसार संविदाकार द्वारा मई 2015 तक निर्माण कार्य पूर्ण करना था परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य अंकेक्षण तक भी अपूर्ण था। इस प्रकार नियमानुसार उपरोक्त से 10**%** की दर ₹169368 पैनेल्टी के रूप में वसूली की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई थी। इस बारे मन्दिर प्रशासन को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 20.11.17 द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया लेकिन इस सन्दर्भ में प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

15 श्री राहुल शर्मा, ठेकेदार को ₹0.19 लाख के अधिक भुगतान बारे

अभिलेख की जाँच के दौरान यह पाया गया कि श्री राहुल शर्मा को बड़ोई चौक में पार्किंग बनाने हेतु ₹711789.54 का भुगतान किया गया निर्माण कार्य का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

मदों का विवरण	मात्रा	दर	राशि
Providing and Laying cement concrete and curing	149.09m^3	3912.75	583351.89
Providing mild steel/TOR steel for R.C.C. including binding and placing	1729.80 KG	74.25	128437.65
		जोड़	**711789.54**

उपरोक्त कार्य के लिए जो टैंडर भरे गए थे उसमें श्री राहुल शर्मा ने मद संख्या 2 (Provinding mild/TOR steel) की दर ₹63 प्रति किलोग्राम की भरी/दर्शाई गई थी, लेकिन उसे भुगतान ₹74.25 प्रति कि0ग्रा0 की दर से किया गया। इस प्रकार संविदाकार को ₹19460 का अधिक भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में मन्दिर प्रशासन को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनांक 19.12.17 द्वारा वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ। अतः उपरोक्त अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए।

16 निविदायें आमन्त्रित किए बिना ₹0.55 लाख का व्यय करना

वाउचर संख्या 99 दिनांक 25.4.2015 द्वारा मैसर्ज YADAV Engineering दिल्ली को ₹55125 का भुगतान High Mast Light की रिपेयर के लिए किया गया। उपरोक्त व्यय निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000 से अधिक की खरीद के लिए निविदाएं आमन्त्रित करना अनिवार्य था। यदि यह कार्य निविदाएं आमन्त्रित करके करवाया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया

जा सकता था। अतः बिना निविदाएं आमन्त्रित किए गए उपरोक्त व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं उपरोक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्तकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 ₹8.49 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे

वाउचर संख्या 76 दिनांक 23.7.15 की जाँच में पाया गया कि अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, मण्डल धर्मशाला के कार्यालय में टयूब बैल लगवाने हेतु ₹849080 चैक संख्या 008756 दिनांक 9.7.15 द्वारा जमा करवाए गए थे, लेकिन इस कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक सम्बन्धित विभाग से लेना अपेक्षित है। अतः उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 प्रतिभूति रजिस्टर (Security Register) में प्रस्तुत न करने बारे

ठेकेदारों से प्राप्त प्रतिभूति (Security) से सम्बन्धित व Security Refund से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख संस्था द्वारा नहीं बनाया गया था जिससे Security के Refund की जाँच नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनांक 19.12.17 द्वारा मन्दिर प्रशासन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु वाँछित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अतिशीघ्र संविदाकारों से प्राप्त प्रतिभूति (Security) व Refund से सम्बन्धित Security Register का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 राशन की खरीद पर ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करना

वाउचर संख्या 40 दिनांक 4.6.15 द्वारा मै0 "The Kangra Distt. Whole sale Co-op consumer & Marketing Federation Ltd." को ₹89936 का निम्नविवरणानुसार भुगतान किया गयाः—

क्रमांक	बिल सं0	राशि
1	001283 / 19.5.15	73036
2	001284 / 21.5.15	16900
	जोड़	**89936**

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि बिल संख्या 1283 दिनांक 19.5.15 में बेसन की मात्रा 245 किलो तथा दर ₹24.50 दर्शाई गई है इस प्रकार इस मद का कुल भुगतान

₹6003 बनता है जबकि बिल में ₹17150 अंकित है। इस प्रकार उक्त मद पर ₹11147 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः तथ्यों की छानबीन उपरान्त अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 बिना बिल/वाउचरों के ₹0.31 लाख का अनियमित भुगतान करना

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि श्री कुलवीर जग्गी को निम्न विवरणानुसार ₹30771 का भुगतान किया गया परन्तु सम्बन्धित वाउचरों के साथ फर्म के बिल संलग्न नहीं थे। अतः बिना बिलों के किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	वा0सं0/दिनांक	मद	राशि
1	35/5.9.16	कुर्सी की खरीद का भुगतान चैक सं0 012698 दिनांक 26.8.16	9100
2	21/4.10.16	2 Flex बोर्ड की सप्लाई का भुगतान	7800
3	82/27.10.16	10 Tree Guard with Painting का भुगतान	13871
		जोड़	**₹30771**

21 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि स्टोर/स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 खण्ड–1 के नियम 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना में स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक वर्ष स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** लघु आपत्तियों का मौके पर निपटारा कर दिया गया है तथा इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

23 **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)148/99–खण्ड–6–3446–3449 दिनांक,17.05.2018
शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृतः
1. मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 सरकार शिमला–2
3. उपायुक्त कांगड़ा एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर चामुण्डा जिला कांगड़ा
4. निदेशक (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हि0प्र0 सरकार शिमला–171009

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9
फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट–''क''

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 12/1998

1	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ख)(2)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ख)(3)	अनिर्णीत
5	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 25(ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 25(घ)	अनिर्णीत
8	पैरा 25(ङ)	अनिर्णीत
9	पैरा 25(च)	अनिर्णीत
10	पैरा 29(ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 45	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2000 से 31.12.2000

1	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 13(2)	अनिर्णीत

(ग)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2001 से 31.12.2001

1	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 17(ख)(2)	अंशतः निर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2002 से 31.12.2002

1	पैरा 5(क)(1 से 5)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(क)(6)(ए0बी0सी0डी0)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(क)(7 से 8)	अनिर्णीत

4	पैरा 5(ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
5	पैरा 6(ङ) तथा 6(ञ)(1)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
6	पैरा 6(ञ)(1)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
7	पैरा 11(क)(1)	अनिर्णीत	
8	पैरा 11(क)(2)	अनिर्णीत	
9	पैरा 11(क)(3)	अनिर्णीत	
10	पैरा 11(क)(4)	अनिर्णीत	
7	पैरा 12	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)

(ङ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2003 से 31.12.2004

1	पैरा 5(ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
	पैरा 5 (ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 12(क)	अनिर्णीत	
7	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 15	अनिर्णीत	
9	पैरा 33(1)	अनिर्णीत	
10	पैरा 33(2)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2005 से 31.12.2005

1	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 16	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2006 से 31.12.2007

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 11	निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)

(ज) अतिरिक्त निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009 के निरीक्षण प्रतिवेदन जोकि पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)(2)(15)(14)198/99, दिनांक 06.04.2009 द्वारा जारी किया गया, में सम्मिलित पैरे :–

1	पैरा 4(क)(1)	अनिर्णीत (अन्तर का मिलान किया जाना शेष है)
2	पैरा 4(क)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(क)(3)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2008 से 31.12.2009

1	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
8	पैरा 9	अनिर्णीत
9	पैरा 11	निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक महोदय के

			निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
10	पैरा 12(i)	निर्णीत	(दिनांक 4.10.10 से सतकार भत्ता बन्द कर दिया गया है पैरा अभिलेख व उत्तर को देखने उपरान्त निर्णीत किया है)
11	पैरा 12(ii)	निर्णीत	

(ञ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2010 से 31.12.2010

1	पैरा 8	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा 11	अनिर्णीत	
3	पैरा 12	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
4	पैरा 16	निर्णीत	(वसूली कर ली गई है)

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2011 से 31.12.2011

1	पैरा 8	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा 10 (i) व 10 (iv)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
3	पैरा 10 (iv)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
4	पैरा 12	निर्णीत	(केन्द्रीय पूल की राशि अब बन्द कर दी गई है)
5	पैरा 16	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति देख ली गई है)

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2012 से 31.12.2012

1	पैरा 8	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा 10 (क से छ)	अनिर्णीत	
3	पैरा 11	अंशतः निर्णीत	
4	पैरा 13 (क)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 के दृष्टिगत)

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014

1	पैरा 3	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 के दृष्टिगत)
2	पैरा 5	निर्णीत	(पैरा आगामी रिपोर्ट में अपडेट कर दिया गया है)
3	पैरा 6	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा 7	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा 8	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	पैरा 9	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27.2.17 के दृष्टिगत)
7	पैरा 10	निर्णीत	(–यथोपरि–)
8	पैरा 11	निर्णीत	(–यथोपरि–)
9	पैरा 12	निर्णीत	(–यथोपरि–)
10	पैरा 13	निर्णीत	(–यथोपरि–)
11	पैरा 14	निर्णीत	(–यथोपरि–)
12	पैरा 15	निर्णीत	(–यथोपरि–)

13	पैरा 16	निर्णीत	(–यथोपरि–)
14	पैरा 17	निर्णीत	(–यथोपरि–)
15	पैरा 18	निर्णीत	(–यथोपरि–)
16	पैरा 19	निर्णीत	(–यथोपरि–)
17	पैरा 20	निर्णीत	(–यथोपरि–)
18	पैरा 21	निर्णीत	(–यथोपरि–)
19	पैरा 22	निर्णीत	(–यथोपरि–)
20	पैरा 23	निर्णीत	(–यथोपरि– पैरा (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनांक 31.12.2014 तक अनिर्णीत पैरे	90
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	(+)20
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	(–)10
अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण के दौरान निर्णीत	(–)29
अन्तश्शेष	77